<u>मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, नाथद्वारा (राजस्थान)</u>

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा)

पीठासीन अधिकारी : पुरूषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

मोटर दुर्घटना दावा संख्या : 42/2019
(CIS No. 42/2019)
(CNR No. RJRS060002282019)

1. सिमरन पिता शांतिलाल, उम्र 7 वर्ष जरिये संरक्षक ताऊ (बड़े पिता) भगवतीलाल पुत्र स्व. भंवरलाल – मृतका की पुत्री
2. विष्णु पिता शांतिलाल, उम्र 5 वर्ष जरिये संरक्षक ताऊ (बड़े पिता) भगवतीलाल पुत्र स्व. भंवरलाल – मृतका का पुत्र

निवासीयान बागोल, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

——प्रार्थीगण

<u>वि रू द्ध</u>

1. शांतिलाल पुत्र भंवरलाल, उम्र 29 वर्ष, निवासी सेलु उदयपुर
   ——वाहन चालक
2. लक्ष्मी पत्नी गेहरीलाल उम्र 44 वर्ष निवासी चौक मौहल्ला, होली थड़ा, चारभुजा मंदिर के पास, सौभागपुरा, उदयपुर ——वाहन मालिक
3. नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, उदयपुर ——बीमा आगोपक

—— विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 166 व 140 मोटर वाहन अधिनियम</u>

उपस्थित :–
1. श्री बी.एल. लोढा व सुरेखा जैन – विद्वान् अधिवक्तागण प्रार्थीगण
2. विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. श्री कमलेश अजमेरा – विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

<u>अधिनिर्णय</u>

दिनांक : 21.05.2026

1. यह क्लेम प्रार्थना पत्र मृतका आशा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिकर प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण की ओर विपक्षीगण के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 एवं 140 के तहत क्षतिपूर्ति राशि 32,05,000/–रूपये प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.05.2019 को इस अधिकरण में प्रस्तुत किया था।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.02.2019 को समय शाम को 7–8 बजे स्थान ईडरा, राजींगजी का खेडा, रावतपुरा हाईवे नंबर 46 मंगलवाड़ के पास दुर्घटना घटित हुई है। वक्त दुर्घटना मृतका मोटरसाइकिल चालक की मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 बी.एल. 4065 के

पीछे बैठकर सेमलिया से बागोल, नाथद्वारा की तरफ जा रही थी। मोटरसाइकिल चालक मोजा ईडरा, राजींगजी का खेडा, रावतपुरा हाईवे नंबर 46 मंगलवाड़ के पास पहुंचा कि मोटरसाइकिल को काफी तेजगति, लापरवाही एवं असावधानीपूर्वक चलाते हुए उक्त मोटरसाइकिल को रोड पर पलटी खिला दी जिससे मृतका नीचे गिर गयी और पीछे से आयी ट्रक मृतक के सिर के उपर से निकल गई जिससे मृतका की मृत्यु हो गयी....वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक द्वारा किये गये कृत्य के लिये जिम्मेदार होने से तथा अपने वाहन को वक्त दुर्घटना वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 द्वारा बीमा कम्पनी में बीमित कराने से विपक्षी संख्या 3 इसलिये विपक्षीगण संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से प्रतिकर हेतु उत्तरदायी हैं। वक्त दुर्घटना मृतका आशा ढोल बजाने, खेता एवं घर गृहस्थी का कार्य करती थी जिससे उसे 15,000/- रुपये मासिक आमदनी होती थी जिससे वह अपना एवं अपने परिवार का पोषण करती थी। प्रार्थीगण ने 32,05,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

3. विपक्षी संख्या 1 एवं 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4. विपक्षी संख्या–3 बीमा कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर क्लेम आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया और अपने विशेष कथन में अभिकथन किया कि उक्त दुर्घटना में विपक्षी संख्या 1 की किसी प्रकार कोई लापरवाही नहीं रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित दुर्घटना के बाद देरी से दर्ज करवाई गई। उक्त दुर्घटना अज्ञात ट्रक के द्वारा कारित की गयी है। मृतका के द्वारा तथाकथित दुर्घटना के समय हेलमेट नहीं पहन रखा था। प्रार्थीगण का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता विपक्षी संख्या 1 जीवित है जिसके जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विपक्षी बीमा कम्पनी से प्राप्त की गई बीमा पॉलिसी की आवश्यक एवं मुख्य शर्त यह है कि बीमाकृत वाहन के किसी प्रकार दुर्घटना में लिप्त होने पर तुरन्त ही वाहन स्वामी बीमा कम्पनी को कथित दुर्घटना से अवगत करायेगा और वाहन स्वामी निर्धारित क्लेम फार्म भरकर बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बीमा पॉलिसी के अनुसार बीमित वाहन उसी चालक के द्वारा चलित की जावेगी जिसके पास वैध व प्रभावी लाईसेंस होगा लेकिन वाहन चालक के पास वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी चालक लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत बीमित

वाहन से किसी भी प्रकार की दुर्घटना कारित नहीं हुई है तथा प्रश्नगत बीमित वाहन किसी भी प्रकार से दुर्घटना में लिप्त नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में बीमा कम्पनी की कोई देयता नहीं बनती है। अंत में क्लेम आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण के सुसंगत निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न बनाये जाते हैं–

(1) आया दिनांक 15.02.2019 को समय सांय 7–8 बजे के करीब जिला चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना मंगलवाड के क्षेत्र ईडरा, राजींगजी का खेड़ा, रावतपुरा हाईवे नं.46 मंगलवाड़ के पास वाहन मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 जी.बी. 4065 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर उक्त मोटरसाइकिल को रोड़ पर पलटी खिला दी जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई और उक्त दुर्घटना से उक्त मोटरसाइकिल पर सवार मृतका आशा के आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी?

––प्रार्थीगण

(2) आया विपक्षी सं. 03 बीमा कंपनी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में आपत्तियों के अनुसार वाहन चालक द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन करने के कारण बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दायित्वधीन नहीं है ? –––बीमा कम्पनी विपक्षी संख्या 3

(3) आया प्रार्थीगण याचिका में वर्णित अनुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हां, तो किस किस विपक्षी से व किस कदर प्राप्त करने के अधिकारी है? –––प्रार्थीगण

(4) अनुतोष ?

6. प्रार्थीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में ए.डब्ल्यू.–1 भगवतीलाल को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श 1 से प्रदर्श 21 तक के दस्तावेजात् को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

7. विपक्षी पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

8. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया है कि दुर्घटना दिनांक 15.02.2019 को हुई थी। ईलाज में व्यस्त होने के कारण दुर्घटना की रिपोर्ट प्रदर्श–1 दिनांक 16.02.2019 को दर्ज करवाई गई थी। प्रार्थीगण ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकरण के तथ्यों को प्रमाणित किया है। अनुसंधान के क्रम में प्रदर्शित दस्तावेजात से

प्रकरण की सम्पुरक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। वक्त दुर्घटना मृतका की उम्र 26 वर्ष थी। वह स्वयं नियोजक होकर प्रतिमाह 15 हजार रुपये कमाती थी और अपने परिवार का अच्छी तरह भरण–पोषण करती थी। मृतका की उक्त सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से प्रार्थीगण को उससे होने वाली आमदनी की पूरी–पूरी क्षति हुई है। दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत वाहन मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 बी.एल. 4065 को तेजगति, लापरवाही पूर्वक एवं गलत ढंग से चलाकर कारित की गई है। बाद अनुसंधान पुलिस ने विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। अतः क्लेम याचिका में मांगे गये अनुतोष अनुसार प्रतिकर राशि प्रार्थीगण को दिलवाई जावें। अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जिनका मेरे द्वारा ससम्मान अवलोकन किया गया–

(1) 2016 ACJ 1952
Khushwinder Singh & anr. v Ram Chander & anr.

(2) 2002 RAR 98 (Raj.)
Rajasthan State Road Transport Corporation v Ram Lal & ors.

(3) I (185) ACC 322
Mohan Lal v Balwant Kaur & ors.

(4) 1999 ACJ 1462
Karnataka State Road Transport Cor. v K. Chandrashekhara Raju

(5) 1999 ACJ 171
Rukmani & ors. v New India Assurance Co. Ltd. & ors.

(6) 1985 ACJ 397
Narcinva V. Kamat & ors. v Alfredo Antomio Doe Martines & ors.

(7) 2010(2) WLN 181 (Raj.)
National Insurance Co. Ltd. v Yogesh & ors.

(8) 2004 ACJ 1
National Insurance Co. Ltd. v Swaran Singh & ors.

(9) 2011 ACJ 1415
Yashpal Luthra & ors. v United India Insurance Co. Ltd. & anr.

(10) 2014 ACJ 110
Jai Krishna Pareek v Uma Sharma & ors.

(11) 2016 ACJ 1759
Oriental Insurance Co. Ltd. v Indro Devi & ors.

9. विद्वान् अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी ने अपनी बहस में लिखित बहस में उल्लेखित तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया है कि प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान दुर्घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है। मृतका आशा की आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। प्रश्नगत वाहन को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने दुर्घटना का कोई चश्मदीद साक्षी परीक्षित नहीं करवाया है और प्रश्नगत वाहन को इस प्रकरण में झूठा संलिप्त किया गया है। बीमा पॉलिसी की आवश्यक व मुख्य शर्त यह है कि बीमाकृत वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना में लिप्त होने पर वाहन स्वामी बीमा कम्पनी को कथित दुर्घटना से अवगत करवाये और वाहन स्वामी निर्धारित क्लेम फार्म भरकर बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत करेगा परन्तु विपक्षी संख्या 2 ने बीमा कम्पनी की उपरोक्त आवश्यक एवं मुख्य शर्त का उल्लंघन किया है इसलिये भी विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की इस प्रकरण में कोई देयता विधि के तहत नहीं रहती है। दुर्घटना की रिपोर्ट देरी से दर्ज करवायी गयी है। विपक्षी संख्या 1 के पास मोटरसाइकिल चलाने की वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी। दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 की लापरवाही से नहीं होकर अज्ञात वाहन से हुई है। ए.ड.1 भगवतीलाल द्वारा क्लेम प्रस्तुत करने से पूर्व कोई संरक्षक बाबत् अनुमति नहीं ली गयी है। अतः प्रार्थीगण का क्लेम प्रार्थना पत्र मिथ्या एवं सारहीन होने के कारण विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के विरूद्ध खारिज की जावें।

10. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के विवेचन के प्रकाश में विवाद्यकों के आधार पर इस अधिकरण का विनिश्चय निम्नांकित प्रकार से हैः—

<u>विवाद्यक संख्या—1</u> :—

11. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है जिसके तहत प्रार्थीगण को यह साबित करना है कि दिनांक 15.02.2019 को समय सांय 7—8 बजे के करीब जिला चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना मंगलवाड के क्षेत्र ईडरा, राजींगजी का खेड़ा, रावतपुरा हाईवे नं.46 मंगलवाड़ के पास वाहन मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 जी.बी. 4065 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर उक्त मोटरसाइकिल को रोड़ पर पलटी खिला दी जिससे

उक्त दुर्घटना कारित हुई और उक्त दुर्घटना से उक्त मोटरसाइकिल पर सवार मृतका आशा के आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी?

12. विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में गवाह ए.ड.1 भगवतीलाल ने अपने बयानों में कथन किया है कि प्रदर्श–1 से 19 तक फौजदारी दस्तावेज है। प्रदर्श 20ए सिमरन का आधार कार्ड है। प्रदर्श 21ए विष्णु का आधार कार्ड है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के स्व. आशा मां लगती थी। वक्त दुर्घटना आशा की उम्र 26 वर्ष थी। वक्त दुर्घटना मृतक आशा ढोल बजाने का, खेती का कार्य व घर का कार्य करती थी जिससे वह 15 हजार रुपये महिने कमा लेती थी जिससे घर गृहस्थी चलती थी। इन बच्चों की परवरिश आशा ही करती थी। आशा का एक्सीडेंट दिनांक 15.02.2019 को हुआ था जो शाम को 7–8 बजे हुआ था। एक्सीडेंट ईडरा मंगलवाड चौराहे के पास टोलनाके के पास हुआ था। शांतिलाल मृतका को मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27 बीएल 4065 से बैठाकर अपने पीहर से गांव ला रहा था। उक्त दुर्घटना शांतिलाल की गलती से हुई। शांतिलाल मोटरसाइकिल तेजगति से चला रहा था जिससे मोटरसाइकिल गिर गयी तथा पीछे से जो ट्रक आ रहा था वो आशा के उपर चढ़ गया जिससे आशा की मृत्यु हो गयी। प्रार्थी संख्या 1 व 2 का संरक्षक अभी वह है।

13. गवाह ए.ड.1 भगवतीलाल ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह कथन किया कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता जीवित है या नहीं उसे पता नहीं। वह प्रार्थीगण का बड़ा पिता है। दुर्घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। उसके पिताजी अलग मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। उसके पिताजी के साथ गेंदीलाल था। वह मौके पर दुर्घटना के समय नहीं था इसलिए दुर्घटना कैसे हुई यह नहीं बता सकता। पुलिस बयान प्रदर्श–9 में ए से बी भाग गलत लिखा है। यह कहना सही है कि शांतिलाल ने मोटरसाइकिल को तेजगति से चलाई जिससे मोटरसाइकिल स्लिप हो गयी। यह सही है कि उसके पिता व गेंदीलाल दोनों पिकअप में बैठकर आ रहे थे। शांतिलाल वर्तमान में कहां पर रह रहा है उसे कोई जानकारी नहीं है। एक्सीडेंट के बाद उससे कभी नहीं मिला। यह कहना सही है कि आशा क्या काम करती थी उसके संबंध में उसने ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट पेश किया न ही आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया। यह कहना सही है कि जब क्लेम पेश हुआ उस समय उसे कोई जानकारी नहीं थी उसके पिता की मृत्यु के पश्चात् उसे इसकी जानकारी हुई थी।

14. प्रार्थीगण की उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के खंडन में विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

15. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से पूर्व निम्न निर्णयज विधि से मार्गदर्शन प्राप्त करना न्यायोचित होगा :–

माननीय विनिर्णय **MACD 2014(2) (Kar.) 858, Parawati & ors. v Basavaraj & ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि "Accident is not disputed by both the parties - FIR lodged against driver of lorry - Spot panchanama discloses that lorry was found in the place of accident - Accident took place at 11-30 p.m. in the night during which the there could not be any eye witnesses - Sole eye-witness is the driver of lorry - Charge-sheet was filed against driver of lorry - Driver of lorry not examined before Tribunal - Held, Tribunal was not justified in rejecting claim petition - Claimants entitled to compensation of Rs.12,90,000/-"

माननीय विनिर्णय **2019 ACC 208 (All), Oriental Insurance Company Ltd. v. Chanchala & ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि "(i) In motor accident claim cases burden to prove fact of accident lies upon claimant, but this burden is not so strict as in criminal cases - Claimant has burden to prove accident on preponderance of probabilities by prima facie evidences only."

माननीय विनिर्णय **2019 ACC 732 (All.), Bechu Khan v Saraswati & Ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि (i) Involvement of vehicle - Claimants are not be put under strict burden to prove the accident - Post-mortem report states that death was cause due to ante-mortem injuries which deceased got in the accident - FIR narrates the exact detail of accident, clearly mentioning the registered number of motorcycle and time of accident - Tribunal rightly concluded that motorcycle has caused accident due to rash and negligent driving."

माननीय विनिर्णय **2012(2) ACTC (Raj.) 1141, National Insurance Company Ltd. v. Smt. Surya & Ors.** में यह प्रतिपादित किया है कि "Compensation - Involvement of Vehicle - FIR of incident was immediately registered - Witness corroborated the fact of accident - He was not cross-examined by Insurance Company - Onus that the vehicle was not involved in accident, was on Insurance Company - It failed to prove this fact - Plea rejected."

16. उपरोक्त माननीय विनिर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त साक्ष्य का विवेचन करें तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–6 दिनांक 16.02.2019 को परिवादी श्रवण कुमार पिता चंपालाल भाट के द्वारा दर्ज करवाई

है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि दिनांक 15.02.2019 को उसकी पुत्री आशा को उसका पति शांतिलाल व ससुर भंवरलाल के साथ भेजी। शांतिलाल मोटरसाइकिल नंबर आर.जे.27 बीएल 4065 से लेकर उसके गांव से रवाना होकर रात को करीब 6 बजे सेमलिया से बागबोल के लिए रवाना हुआ। रात के करीब 12 बजे सूचना मिली कि शांतिलाल ने मोटरसाइकिल गफलत लापरवाही व तेज रफ्तार से चलाकर उसकी पुत्री आशा को नीचे गिरा एक्सीडेंट कर मृत्यु कारित की है। इसके अतिरिक्त नक्शा मौका प्रदर्श–9 के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत वाहन मोटरसाइकिल के चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक चलाना जिससे आशा का मोटरसाइकिल से नीचे गिर जाना जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई। दुर्घटना में ईलाज के दौरान मृतका आशा की मृत्यु हुई है जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–11 है। गवाह ए.ड.1 भगवतीलाल ने भी अपनी साक्ष्य में प्रश्नगत वाहन मोटरसाइकिल को विपक्षी संख्या 1 शांतिलाल द्वारा गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चलाना जिससे मृतका आशा का नीचे गिर जाना जिससे पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन मृतका के सिर के उपर से निकल जाना जिससे उक्त दुर्घटना होना प्रकट किया है। गवाह ए.ड.1 भगवतीलाल ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट किया है कि शांतिलाल ने मोटरसाइकिल को तेजगति से चलाई जिससे मोटरसाइकिल स्लिप हो गयी।

17. प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई साक्ष्य में गवाह ए.ड.1 भगवतीलाल ने अपनी साक्ष्य में क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यों की पुष्टि की हैं। इस गवाह के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे इसकी साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई दस्तावेजी साक्ष्य में आरोप पत्र प्रदर्श–1, चाक एफआईआर प्रदर्श–2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–6, नक्शा मौका प्रदर्श–9, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका आशा प्रदर्श–11, मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श–15, धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श–12, धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श–13, प्रश्नगत वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रदर्श–19, प्रश्नगत वाहन का इंश्योरेंस प्रदर्श–18 आदि दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण की मौखिक साक्ष्य की पुष्टि होती है। प्रश्नगत वाहन संख्या आर.जे.27 बी.एल. 4065 विपक्षी संख्या 2 के नाम रजिस्टर्ड है। प्रश्नगत वाहन के इंश्योरेंस प्रदर्श–18 के अनुसार प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी से बीमित था। प्रश्नगत वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 को इस

दुर्घटना के लिये दोषी मानते हुये विपक्षी संख्या 1 वाहन चालक के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. एवं 3/181 एमवी एक्ट में आरोप पत्र प्रदर्श–1 पेश किया गया है। उक्त साक्ष्य का खण्डन विपक्षीगण की ओर से नहीं किया गया है। धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श–12 में वाहन स्वामी विपक्षी संख्या 2 ने प्रश्नगत वाहन विपक्षी संख्या 1 द्वारा वक्त दुर्घटना चलाना बताया है। धारा 134 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श–13 में प्रश्नगत वाहन के चालक विपक्षी संख्या 1 ने वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन पर स्वयं को चालक होना बताया है। विपक्षी संख्या 1 प्रश्नगत वाहन चालक विपक्षी संख्या 2 स्वामी के नियोजन में उसके हितार्थ व लाभार्थ वाहन को चला रहा था। अतः इस तथ्य से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता है कि दुर्घटना घटित नहीं हुई हो।

18. विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से यह आपत्ति रही है कि दुर्घटना के किसी चश्मदीद साक्षी को प्रार्थीगण की ओर से परीक्षित नहीं करवाया गया है जिससे प्रार्थीगण दुर्घटना को साबित करने में विफल रहे हैं। इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त तर्क का विरोध किया। न्यायालय द्वारा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर आयी मौखिक साक्ष्य ए.ड.1 भगवतीलाल के अनुसार यह प्रकट है कि उक्त साक्षी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय विनिर्णय **2014 आर.ए.आर.289 एस.सी. किशनगोपाल व अन्य बनाम लाल वगैरह** में प्रतिपादित मार्गदर्शन के अनुसार भी ''प्रथम सूचना प्रतिवेदन का दर्ज होना तथा चार्जशीट प्रस्तुत किया जाना विवाद में नहीं है – अधिकरण के पास अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।''

19. उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि साक्ष्य में पेश हुये उपरोक्त तथ्यों का कोई खण्डन नहीं हुआ है इस कारण प्रार्थीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के अभाव में विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से उठाई गई उक्त आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

20. उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचनानुसार यह प्रमाणित पाया जाता है कि दिनांक 15.02.2019 को समय सांय 7–8 बजे के करीब जिला चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना मंगलवाड के क्षेत्र ईडरा, राजींगजी का खेड़ा, रावतपुरा हाईवे नं.46 मंगलवाड़ के पास वाहन मोटरसाइकिल संख्या आर.जे.27

जी.बी. 4065 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर उक्त मोटरसाइकिल को रोड़ पर पलटी खिला दी जिससे उक्त दुर्घटना कारित हुई और उक्त दुर्घटना से उक्त मोटरसाइकिल पर सवार मृतका आशा के आयी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।

21. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार के विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–2</u> :–

22. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी पर है जिसके अनुसार विपक्षी संख्या 3 को यह सिद्ध करना है कि क्या विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में वर्णित आपत्तियों के अनुसार विपक्षी संख्या 2 वाहन स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति की राशि के लिए दायित्वधीन नहीं है?

23. विद्वान् अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की यह आपत्ति भी रही है कि प्रश्नगत वाहन के चालक के पास प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी और उसकी लापरवाही से उक्त दुर्घटना कारित नहीं हुई है। विपक्षी वाहन चालक एवं स्वामी द्वारा बीमा पॉलिसी की आवश्यक शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया गया था इस कारण विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की कोई देयता नहीं बनती है परन्तु विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से इस संबंध में कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित होता हो कि प्रश्नगत वाहन के चालक के पास प्रभावी चालक अनुज्ञप्ति नहीं हो परन्तु विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श–1 अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के साथ–साथ धारा 3/181 एमवी एक्ट में भी पेश किया गया है, ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 के पास वक्त दुर्घटना मोटरसाइकिल चलाने हेतु वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण की ओर से भी विपक्षी संख्या 1 के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति आदि प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि वक्त दुर्घटना विपक्षी संख्या 1 के पास प्रश्नगत वाहन चलाने हेतु वैध ड्राईविंग लाईसेंस हो। इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं वे हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण प्रार्थीगण की कोई मदद नहीं करते हैं।

24. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी की यह आपत्ति कि वक्त दुर्घटना वाहन चालक विपक्षी संख्या 1 के पास वैध चालक अनुज्ञप्ति नहीं थी, प्रमाणित करने में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में इन परिस्थितियों में विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी प्रतिकर अदायगी से उन्मुक्त होने की अधिकारी है परन्तु प्रश्नगत वाहन का बीमित होना प्रदर्श–18 से प्रमाणित है इसलिये प्रार्थीगण को बीमा कम्पनी व विपक्षी संख्या 2 के मध्य शर्तों के उल्लंघन के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्णसिंह, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 1531** के अनुसार बीमा कम्पनी प्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति अदा कर विपक्षी संख्या 1 व 2 से यह राशि वसूल करने का अधिकार रखा था।

25. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कम्पनी की मुख्य आपत्ति यह रही है कि दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाई गई है जिसका प्रार्थीगण की ओर से कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है इसलिए संपूर्ण मामला संदेहास्पद है। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त तर्क का खण्डन किया है।

26. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना दिनांक 15.02.2019 को रात्रि में घटित हुई है जिसकी रिपोर्ट दिनांक 16.02.2019 को दर्ज करवाई गई है। दुर्घटना के बाद मृतका को तुरन्त राजकीय चिकित्सालय लेकर गये जहां उसे मृत घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में दुर्घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे ही दिन दर्ज करवाया जाना प्रकट है। इसके अतिरिक्त न्यायालय के विनम्र मत में प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकता आहत को ईलाज उपलब्ध करवाने आदि की रहती है। यहां यह भी विवेचन किया जाता है कि मोटरवाहन दावे के मामले में न्यायालय को साक्ष्य का विवेचन दाण्डिक न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय की भांति कठोरता से नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधान एक सामाजिक व कल्याणकारी विधान है, जिसका उद्देश्य आहत को मुआवजा दिलाना है, जब तक कि घटना को घटित नहीं होना साबित नहीं किया जावें। विपक्षीगण की ओर से पत्रावली पर ऐसी कोई खण्डनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जो घटना को घटित होने के तथ्य

को नासाबित करती हो। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी की उक्त आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

27. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी का अपनी बहस में एक तर्क यह भी रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–6 के अनुसार वक्त घटना विपक्षी संख्या 1 शांतिलाल ने शराब पी रखी थी और वह मोटरसाइकिल चला रहा था तथा नक्शा मौका प्रदर्श–9 में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि वक्त घटना विपक्षी संख्या 1 शांतिलाल ने शराब पी रखी थी। ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी प्रार्थीगण को किसी प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी की उत्तरदायी नहीं है। प्रार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता ने उक्त तर्क का खण्डन किया। न्यायालय द्वारा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–6 एवं नक्शा मौका प्रदर्श–9 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वक्त घटना विपक्षी संख्या 1 शांतिलाल ने शराब पी रखी थी परन्तु जो आरोप पत्र प्रदर्श–1 प्रस्तुत किया गया है उसमें विपक्षी संख्या 1 ने शराब पी रखी हो इस संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में विपक्षी संख्या 1 शांतिलाल के विरूद्ध कोई प्रकरण बनना पाया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी का उपरोक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

28. विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी का अपनी बहस में एक तर्क यह भी रहा है कि भगवतीलाल प्रार्थीगण का संरक्षक नहीं है इसलिये उसे यह क्लेम प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की माता आशा की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है और विपक्षी संख्या 1 शांतिलाल मृतक का पिता है। हस्तगत प्रकरण पूर्व में प्रार्थीगण की ओर से उनके दादा भंवरलाल द्वारा जरिये संरक्षक प्रस्तुत किया गया था परन्तु विचारण के दौरान उक्त भंवरलाल की मृत्यु हो गयी जिस पर प्रार्थीगण की ओर से बड़े पिता भगवतीलाल द्वारा जरिये संरक्षक क्लेम आवेदन में संशोधन करवाया गया है। चूंकि उक्त भगवतीलाल प्रार्थीगण का बड़ा पिता होना प्रकट किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से जरिये संरक्षक बड़े पिता भगवतीलाल द्वारा यह क्लेम याचिका प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी का उपरोक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

29. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 2 का निस्तारण उक्तानुसार किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 3</u> :–

30. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है, जिसमें प्रार्थीगण को यह तथ्य प्रमाणित करना है कि क्या प्रार्थीगण याचिका में वर्णितानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? यदि हां, तो किस किस विपक्षी से व किस कदर प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

31. इस विवाद्यक के निस्तारण के संबंध में गवाह ए.ड.1 भगवतीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मृतका आशा ढोल बजाने, खेती का कार्य व घर का कार्य कर 15 हजार रुपये मासिक कमा लेती थी परन्तु अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया है कि आशा क्या काम करती थी उसके संबंध में उसने ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट पेश किया न ही आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया है। ऐसी स्थिति में मृतका आशा की वक्त दुर्घटना आय 15,000/– रुपये मासिक नहीं मानी जा सकती है। मृतका आशा के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये उसे एक अकुशल श्रमिक माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

32. प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर जहां तक मृतका की आयु का प्रश्न है, प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में घटना के वक्त मृतका की आयु 26 वर्ष होना कहा है तथा इस संबंध में मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–11 प्रस्तुत की गई है जिसमें मृतका की आयु 30 वर्ष अंकित है। ऐसी स्थिति में मृतका की आयु वक्त दुर्घटना 30 वर्ष होना अवधारित किया जाता है। अतः वक्त दुर्घटना मृतका को 26 से 30 वर्ष आयु वर्ग का व्यक्ति माना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

33. साक्ष्य के विवेचन के आधार पर प्रार्थी निम्न प्रकार से प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है–

(A) धन संबंधी/आर्थिक हानि (For Pecuniary Damage)

i (a) ईलाज में हुआ वास्तविक खर्च–(Actual Medical Expenses) :–

प्रार्थीगण ने मृतका आशा के ईलाज के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, इस कारण इस मद में प्रार्थीगण कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(b) अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान हुए आनुषांगिक खर्च :–

प्रार्थीगण ने मृतका आशा के ईलाज के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं, इस कारण इस मद में प्रार्थीगण कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

(ii) आय का निर्धारण –(Income) :–

यह दुर्घटना दिनांक 15.02.2019 की है और राजस्थान राजपत्र एवं श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिक की न्यूनतम दर 6,390/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में मृतका की आय वक्त दुर्घटना 6,390/– रुपये प्रतिमाह होना अवधारित की जाती है।

(iii) भावी वृति (Future Income) रूपये

न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि–''स्वनियोजित व्यक्ति के मामले में भावी प्रत्याशा–परिकलन की आवश्यक विधि के रूप में जहां मृतक स्वनियोजित था या नियत वेतन पर कार्यरत था वहां यदि उसकी आयु 40 वर्ष से कम होने की दशा में साबित आय का 40 प्रतिशत जोड़ा जाना वांछित है–जहां मृतक 40 से 50 वर्ष की आयु के बीच है, वहां 25 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये तथा जहां मृतक 50 से 60 वर्ष की आयु का बीच का हो वहां 10 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिये–साबित आय का आशय है, टेक्स की राशि कम किये जाने के बाद शेष आय।''

उक्त सिद्धान्त अनुसार मृतका के आयु वर्ग को दृष्टिगत रखते हुये उसकी मासिक आय 6,390/– रुपये में 40 प्रतिशत राशि 2,556/– रुपये भविष्य की बढ़ोतरी के रूप में होने वाली आय को जोड़े जाने पर मृतक की कुल मासिक आय **8,946/– रूपये** होना अवधारित की जाती है।

(iv) आश्रियता की हानि (Dependancy) :-

हस्तगत क्लेम याचिका मृतका आशा की पुत्री प्रार्थी संख्या 1 सिमरन एवं मृतका आशा के पुत्र प्रार्थी संख्या 2 विष्णु की ओर से जरिये संरक्षक प्रस्तुत की गई है और प्रार्थीगण मृतका आशा पर ही आश्रित थे। इस प्रकार प्रार्थीगण के मृतका पर आश्रित होने के कारण उक्त आय 8,946/– रूपये में से 1/3 भाग अर्थात् 2,982/– रुपये निजी व्यय में कम करने पर मृतका द्वारा परिवार के लिये अंशदान राशि 5,964/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। यह

निर्धारण **सरला वर्मा विनिर्णय (2009)6 सुप्रीम कोर्ट केसेज 121** के अनुरूप किया गया है।

(v) गुणक का निर्धारण (Multiplier) रूपये

उपरोक्त किये गये विवेचन के अनुसार मृतका की आयु 30 वर्ष होने से वक्त दुर्घटना मृतका को 26 वर्ष से 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति होना अवधारित किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त ***सरला वर्मा बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सिविल अपील संख्या 3483/08 निर्णय दिनांक 15.04.2009*** विनिर्णय अनुसार मृतक की आयु को देखते हुए प्रकरण में 17 का गुणक प्रयोग में लिया जाता है। कुल धन सम्बन्धी/आर्थिक हानि = भावी वृति सहित मासिक आय गुणक 12 माह गुणक मृतक की आयु को देखते हुये 17 के गुणक का उपयोग किया जाना उचित है।

5964 X 12 X 17 = 12,16,656/– रूपये

(B) <u>गैर धन सम्बन्धी/गैर आर्थिक हानियां (Non Pecuniary Damages) रूपये</u>

(i) प्यार, स्नेह, वंचना सहचर्य सुख से वंचित होने पर हानि (Loss of consortium) रूपये

जहां तक मृतका की मृत्यु के परिणास्वरूप प्यार, वंचना, स्नेह के मद में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **Civil Appeal No(s).9233/2022 [Special Leave Petition (Civil) No.10860/2021] Harpreet Kaur & Ors. vs Mohinder Yadav & Ors** तथा **Magma General Insurance Co. Ltd. vs Nanu Ram and others, 2018 ACJ 2782** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की रोशनी में तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा **एस.बी.सिविल मिसलेनियस अपील नम्बर 730/2000 श्रीमती खुमानी बाई एवं अन्य बनाम मोहनलाल वगै.** में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 को क्रमशः मृतका की पुत्री एवं पुत्र की हैसियत से पेरेन्टल कंसोर्टियम के रूप में 40,000–40,000/– रुपये इस प्रकार कुल 80,000/– रुपये दिलाया जाना न्यायोचित है। यह निर्धारण न्यायिक दृष्टांत **2017 (2) ACTC (SC) 1201, National Ins. Co. Ltd. Vs. Pranay Sethi** में पारित दिशानिर्देशों के अनुरूप दस प्रतिशत बढ़ोतरी कर किया गया है।

(ii) दाह संस्कार (Funeral Expenses) रूपये

मृतका के अंतिम संस्कार, क्रियाकर्म व पश्चात्वर्ती अन्य धार्मिक रीति रिवाज पर हुये व्यय हेतु प्रतिकर 15,000/–रूपये।

(iii) सम्पति की हानि हेतु (Loss of estate) रूपये

15,000/– रूपये।

34. इस प्रकार मृतका की मृत्यु पर देय कुल प्रतिकर राशि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है।

क.सं.	किस मद में क्षतिपूर्ति दिलायी गयी	क्षतिपूर्ति राशि रूपये में
1.	मेडिकल बिलों की कुल राशि	0
2.	पौष्टिक आहार	0
3.	अटेण्डेंट व्यय	0
4.	आय की क्षति के लिये	12,16,656
5.	प्यार, स्नेह एवं वंचना से वंचित होने पर	80,000
6.	दाह संस्कार	15,000
7.	सम्पत्ति की हानि	15,000
	कुल	**13,26,656**

<u>विवाद्यक संख्या–4 (अनुतोष) :–</u>

35. विवाद्यक संख्या–3 में किये गये विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण से संयुक्त रूप से व पृथक पृथक रूप से क्षतिपूर्ति के रूप में **कुल 13,26,656/–रूपये** प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः तद्नुसार पंचाट पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>पंचाट</u>

36. परिणामतः प्रार्थीगण सिमरन वगै. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 140 व 166 मोटर वाहन अधिनियम विरूद्ध विपक्षी संख्या एक से तीन आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या एक से तीन से संयुक्ततः एवं पृथक–पृथक रूप से **कुल 13,26,656/–रूपये (अक्षरे तेरह लाख छब्बीस हजार छः सौ छप्पन रूपये)** प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पूर्व में यदि दोषरहित दायित्व के अधीन राशि अदा की गई है तो वह राशि प्रतिकर राशि में समायोजित होगी एवं शेष राशि पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र

प्रस्तुत करने की दिनांक 01.05.2019 से वसूली तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वंय वहन करेगें।

37. पूर्व में प्रार्थीगण ने 50,000/– रुपये अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर ली है, अतः उक्त अंतरिम क्षतिपूर्ति राशि उक्त अंतिम पंचाट राशि में समायोजित की जाकर अब प्रार्थीगण शेष राशि **12,76,656/–रुपये (अक्षरे बारह लाख छियत्तर हजार छः सौ छप्पन रुपये)** प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

38. विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी को यह आदेश दिया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार क्षतिपूर्ति की राशि का चैक जमा करावें तथा विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी उक्त प्रतिकर की राशि विपक्षी संख्या 1 व 2 से संयुक्ततः एवं पृथक्–पृथक् रूप से वसूल करने की अधिकारी होगी।

39. प्रतिकर राशि का भुगतान होने पर प्रार्थीगण प्रतिकर राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं और प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि का विभाजन निम्न प्रकार से होगा :–

क्र. सं.	नाम	मृतक से संबंध	बचत खाते में देय राशि (रूपयों में)	सावधि जमा खाते में देय राशि (रूपयों में)
1.	सिमरन	पुत्र	1,76,656/– मय ब्याज की राशि	2,00,000/– 5 वर्ष के लिये 2,00,000/– 7 वर्ष के लिये
2.	विष्णु	पुत्र	–	2,00,000/– 7 वर्ष के लिये 2,00,000/– 8 वर्ष के लिये 3,00,000/– 9 वर्ष के लिये

40. प्राथीगण को स्वयं के सावधि जमा राशियों पर त्रैमासिक अन्तराल से ब्याज जरिये बचत खाता देय होगा। सावधि जमा योजनाओं में जमा राशियों को इस अधिकरण की इजाजत के बिना विभाजित व अन्तरित व प्रभारित नहीं किया जायेगा।

41. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, के ***एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6237/2017 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य*** में जारी निम्न दिशा निर्देशो की पालना में :–

1. प्रार्थीगण अपनी पास बुक की प्रति जिसमें बैंक खाते का विवरण हो एवं स्वयं का फोटो बैंक द्वारा सत्यापित हो, अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

2. सभी प्रार्थीगण आयकर कटौती हेतु अपने पेन कार्ड की प्रति विपक्षी संख्या तीन बीमा कंपनी को सूचित करते हुये अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

3. पंचाट की पालना में विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी इस अधिकरण **(न्यायाधीश, मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम ट्रिब्युनल, नाथद्वारा)** के बैंक, एच.डी.एफ. सी. बैंक, शाखा नाथद्वारा में स्थित बचत खाता संख्या 50100278587671 (IFSC Code HDFC0004256) में NEFT या RTGS से एक माह में जमा करावे एवं विहित प्रारूप में उसकी सूचना 15 दिवस में अधिकरण में उपलब्ध करावे। साथ ही जमा करवाने की सूचना की एक प्रति प्रार्थी को भी देवे। साथ ही यदि कोई आयकर कटौती की जाती है तो आयकर कटौती का प्रमाण–पत्र भी अधिकरण के समक्ष प्रार्थी को सूचित कर जमा करावे। NEFT या RTGS के रिमार्क में इस प्रकरण के उनवान व प्रकरण संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावें ताकि अधिकरण को यह ज्ञात हो सके कि उक्त राशि इस प्रकरण में जमा कराई गई है।

42. विपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी उक्त क्षतिपूर्ति की राशि वाहन चालक／वाहन मालिक से पुनः वसूल करने की अधिकारी होगी।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)

43. निर्णय व पंचाट आज दिनांक **21.05.2026** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं न्यायालय मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)